# कार्यालय--निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/बी/उत्तर मैट्रिक/2018–19/

दिनांक : 13.12.18

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा,

**विषय :–** उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत वर्ष 2018–19 के लिए पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाईन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश।

**प्रसंग :–** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 9(4) उ.मै.छा./2017–18/सान्यअवि/81700 दिनांक 30.11.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018–19 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय एवं राष्ट्रीय स्तर की राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं (कक्षा 11 एवं 12 के केवल राजकीय शिक्षण संस्थान) के विद्यार्थियों द्वारा www.scholarship.rajasthan.gov.in पर क्लिक कर पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाईन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती है :–

| क्र.सं. | विषय वस्तु | निर्धारित तिथियां |
|---|---|---|
| 1. | उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिए पोर्टल प्रारंभ करने की तिथि | **01 दिसम्बर 2018** |
| 2. | उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की तिथि | **31 जनवरी 2019** |
| 3. | शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकृतकर्ता अधिकारियों को अग्रेषित करने की तिथि | **05 फरवरी 2019** |

नवीन छात्रवृति पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2018–19 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों के लिए निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग) के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 2.50 लाख रूपये तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगें।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग उतर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 1.50 लाख रूपये तक वार्षिक आय सीमा वाले निम्नलिखित 17 श्रेणियों वाले विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगें। **जैसे– बी.पी.एल. कार्ड धारक की पुत्री/पुत्र, अन्तोदय कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, स्टेट बी.पी.एल. कार्ड धारक की पुत्री/पुत्र, अनाथ बालिका/बालक, विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री/पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र, विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री/पुत्र।**

www.rajteachers.com

3. डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 1.00 लाख रूपये तक की वार्षिक आय सीमा वाले केवल राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगें।
4. डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्वघुमन्तु (DNT) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 2.00 लाख रूपये तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगें।
5. मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 5.00 लाख रूपये से कम वार्षिक आय सीमा वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं (विभाग द्वारा सूचीबद्व) में अध्ययनरत विद्यार्थी की आवेदन कर सकेंगें।
6. सभी विद्यार्थी अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें। ऑनलाईन आवेदन पत्र के लिए पासवर्ड स्वयं सृजित करें। छात्र यदि ई-मित्र/साईबर कैफे/शैक्षणिक संस्थान से आवेदन कर रहें हैं तो अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवायें एवं समस्त प्रविष्टियों की जांच स्वयं कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो आवेदन पत्र को उसको सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को ऑनलाईन फाईनल सममिट करें।
7. छात्र-छात्रा मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी स्वयं की ही देवें।
8. अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्वघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवश्यकतानुसार मूल दस्तावेज साथ रखने होंगें ताकि आवश्यकता होने पर वांछित मूल दस्तावेज को रंगीन स्केन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड किया जा सके।
9. वर्ष 2017-18 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले ऐसे विद्यार्थी जिनकी 50000/-रूपये से अधिक की छात्रवृति राशि स्वीकृत की जानी है, के आय प्रमाण पत्र के उद्घोषक (पिता/पति/माता/संरक्षक) को PAN CARD NO. (बी.पी.एल. को छोड़कर) पोर्टल पर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
10. आय का घोषणा पत्र वर्ष 2018-19 हेतु एक पृष्ठीय निर्धारित प्रपत्र (जो कि विभागीय वेबसाईट से प्राप्त किया जा सकता है) में ही बनाकर मूल ही स्कैन कर पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड करना होगा। पिता जीवित होने की स्थिति में पिता द्वारा, पिता की मृत्यु होने की स्थिति में माता द्वारा, माता-पिता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में संरक्षक द्वारा, माता-पिता एवं संरक्षक तीनों ही नहीं होने की स्थिति में स्वयं द्वारा, विवाहित महिला होने की स्थिति में पति द्वारा आय की घोषणा की जावेगी। माता-पिता नियोजित होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी एक पृष्ठीय मूल आय प्रमाण पत्र स्कैन कर पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड करना होगा।
11. विद्यार्थियों की समस्त सूचनाएं भामाशाह पोर्टल के माध्यम से ही ली जायेंगी। अतः विद्यार्थी के शैक्षणिक रिकार्ड एवं भामाशाह पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता हो तथा शैक्षणिक रिकार्ड के मुताबिक परिवर्तन कराना चाहता है तो भामाशाह पोर्टल में अंकित सूचना में भामाशाह पोर्टल के माध्यम से ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा। विद्यार्थी की भामाशाह आई.डी. आधार कार्ड एवं विद्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन डाटा समान होना चाहिए।
12. भामाशाह आई.डी. तथा आधार नम्बर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृति स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।
13. विद्यार्थी का बैंक खाता संख्या उपलब्ध नहीं करवाये जाने की स्थिति में छात्रवृति राशि भामाशाह कार्ड में अंकित विद्यार्थी अथवा परिवार के मुखिया के बैंक खाते में हस्तान्तरित होगी। विद्यार्थी अपने बैंक खाते की (KYC) अपडेट रखें।
14. वर्ष 2018-19 में राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों के आवेदन पत्र विद्यार्थी के गृह जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिलाधिकारी के द्वारा स्वीकृत किये जायेगें। जयपुर जिले में दो विभागीय कार्यालय होने के कारण सांगानेर, झोटवाड़ा एवं आमेर तहसील के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र

www.rajteachers.com

जयपुर (शहर) एवं जयपुर जिले की शेष रही अन्य तहसीलों के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर (ग्रामीण) कार्यालय में अग्रेषित किये जायेगें।

15. कक्षा 11 व 12 की उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु केवल अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु वर्ग के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगें।
16. कक्षा 11 व 12 की उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु छात्रवृति स्वीकृता अधिकारी संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी होंगें।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति संबंधी विस्तृत जानकारी www.scholarship.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। साथ ही विभागीय वेबसाईट पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी विस्तृत विज्ञप्ति इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

**संलग्नः— सान्याअवि की विज्ञप्ति दिनांक 30.11.2018 की प्रति।**

13/12/18

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति अनुभाग
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :—

1. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) को प्रेषित कर निवेदन है कि वे अपने अधिनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को उक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु पाबन्द करे।
4. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को प्रभावी मॉनेटरिंग करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

13/12/18

www.rajteachers.com

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति अनुभाग
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

## कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) श्रीगंगानगर

क्रमांकः—जिशिअ/मा/गंगा/छात्रवृति/2018/115 दिनांक :— 15-12-18

समस्त संस्थाप्रधान
राउमावि/रामावि (छात्र/छात्रा)

को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र के सन्दर्भ में पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक श्रीगंगानगर